राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–3758/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC दिनांक–28/09/2018

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,** जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0,
2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,** शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा उ0प्र0।

लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, लोनी (गाजियाबद), इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, झांसी, आजमगढ़, सहारनपुर, बदायूँ, बांदा, बुलन्दशहर, रायबरेली, उन्नाव, बहराइच, बिजनौर, फर्रूखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कन्नौज, महोबा, मथुरा, मऊ, शामली, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, हरदोई, बाराबंकी, देवरिया, फतेहपुर, एटा, हापुड़, हाथरस, जालौन–उरई, अमरोहा, बस्ती, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद–(फिरोजाबाद), जौनपुर, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर एवं शाहजहाँपुर उ0प्र0।

विषय : शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शहरी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आपके शहर में CLC का संचालन किया जा रहा है। शहर से CLC की प्राप्त आख्या के अनुसार अधिकांश CLC का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है तथा CLC के माध्यम से कामगारों को गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है और न ही निरन्तर दिये जा रहे निर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन ही कराया जा रहा है। अपेक्षित प्रगति न होने के कारण शासन तथा भारत सरकार द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 जनपदों को प्रेषित कर विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों आदि द्वारा आउट सोर्स की सेवाएं CLC के माध्यम से लिए जाने हेतु निर्गत किया गया है कि विभाग/संस्थान उक्त आउट सोर्स की सेवाएं CLC के माध्यम से लेना सुनिश्चित करें, ताकि शहरी गरीबों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार से जोड़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करते हुए CLC को वाइबिल एवं स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

CLC की शहरों से प्राप्त आख्या से प्रतीत होता है कि कतिपय शहरों को छोड़कर अधिकांश शहरों में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। CLC को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु आवश्यक है कि जनपदों/शहरों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए CLC को आत्मनिर्भर बनाया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके शहर में स्वीकृत CLC को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु उल्लिखित शासनादेश के अनुक्रम में CLC को आउटसोर्स के कार्य दिये जाने हेतु कार्यवाही कराने, CLC का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने एवं शहर में अनारम्भ CLC का नियमानुसार तत्काल संचालन कराने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए CLC को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक